संख्या फिन–(सी)बी-15- 2/2005
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त विभाग (विनियम)

प्रषक

प्रधान सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार

सभी प्रशासनिक सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

दिनांक शिमला 171002 24 नवम्बर, 2009

विषय निगमों / बोर्डो के अध्यक्षों एवम उपाध्यक्षों (गैर सरकारी) की सेवा शर्तो बारे समेकित आदेश व कुछ शर्तो/ सुविधाओं में संशोधन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये पत्रों का अधिकमण करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निमगों / बोर्डो (गैर सरकारी) के अध्यक्षों एवम उपाध्यक्षों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाओं बारे समेकित आदेश जारी करने की आवष्यकता महसूस हुई है जिसमें पूर्व में जारी किये गये आदेश भी सम्मिलित है । इसके इलावा, उन्हे पूर्व में दी जाने वाली सुविधाओं सेवा शर्तो में भी कुछ संशोधन किया गया है जिनका विवरण इस आदेश में दिया गया है इस प्रकार निगम/ बोर्डो के अध्यक्षों उपाध्यक्षों (गैर सरकारी) को दी जाने वाली सुविधायें और उनसे सम्बन्धी सेवा शर्ते निम्न प्रकार से होंगीं :-

1. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को प्रवास पर दैनिक भत्ता मु0 200/- रूपये प्रतिदिन की दर से देय होगा जैसा कि इस बारे में पूर्व में आदेश जारी किये गये हैं ।

2 निगम / बोर्ड के आवास की उपलब्धता की स्थिति में अध्यक्ष / उपाध्यक्ष निगम /बोर्ड को अर्ध सुसज्जित आवास उपलब्ध करवाया जायेगा जिसके लिये उन्हे सरकार की दरों के अनुसार से किराया अदा करना होगा निगम /बोर्ड का आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हे मु0 4000/- रूपये प्रतिमास की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा। यदि उनकी सेवायें

.....2.....

समाप्त की जाती है या सरकार को उनकी सेवाओं की और आगे आवश्यक्ता न हो तो उन्हे उपलब्ध करवाई गई निगम/ बोर्ड की रिहायशी आवास सुविधा, सेवा समाप्ति आदेशों के 15 दिनों के अन्दर खाली करनी होगी । आवास के बदले किराया भत्ता की अदायगी की स्थिति में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को फर्नीचर चार्जिज देय नहीं होगें उपर्युक्त संशोधित आवास भत्ता दिनांक 1– 12 –2009 से प्रभावी होगा ।

3 आवास में बिजली और पानी के वास्तवितक खर्चे का वहन पूर्व की भान्ति सम्बन्धित बोर्ड / निगम द्वारा किया जायेगा ।

4 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी जिसका खर्च सम्बन्धित बोर्ड / निगम द्वारा वहन किया जायेगा या इसके बदले में उन्हे मु0 2000/-रूपपे प्रतिमास की दर से वाहन भत्ता प्रदान किया जायेगा । संशोधित वाहन भत्ते की दर दिनांक 1– 12 –2009 से प्रभावी होगी। यदि बोर्ड / निगम के पास वाहन उपलब्ध नहीं है तो बोर्ड / निगम कोई नया वाहन कय नहीं करेगा और न ही चालक के पद का सृजन करेगा । इस स्थिति में यदि बोर्ड / निगम के पास वाहन उपलब्ध न हो तो वह अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को टैक्सी की सुविधा उपलब्ध करवायेगा ।

5 अध्यक्षों को मु0 2000/- रूपये प्रतिमास एवम उपाध्यक्षो को मु0 1500/- रूपये प्रतिमास की दर से आतिथ्य सत्कार भत्ता देय होगा आतिथ्य सत्कार भत्ते की बढी हुई राशि दिनांक 1– 12 –2009 से प्रभावी होगी ।

6 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को कार्यालय में सम्बन्धित बोर्ड / निगम द्वारा दूरभाष की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। आवास के दूरभाष / मोबाईल खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु उन्हे मु0 **3800/- fixed** राशि द्विमासिक देय होगी । दूरभाष खर्च प्रतिपूर्ति राशि के यह आदेश दिनांक 1–12–2009 से प्रभावी होगें ।

7 (क) बोर्ड /निगम अध्यक्ष / उपाध्यक्ष उसी निशुल्क चिकित्सा सुविधा के पात्र होगें जिसके लिये बोर्ड /निगम के प्रबन्ध निदेशक अथवा वहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पात्र है

(ख)) अध्यक्ष / उपाध्यक्ष यात्रा दैनिक भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये सक्षम होगें तथा प्रवास कार्यकम को अनुमोदन करने के लिये स्वयं ही नियन्त्रण अधिकारी होगें

(ग) इनके बिलों का आहरण सम्बन्धित बोर्ड / निगम द्वारा किया जायेगा

8 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को मु0 **10000/-** प्रतिमास की दर से पारिश्रमिक देय होगा बढी हुई पारिश्रमिक राशि दिनांक 1–12–2009 से देय होगीं ।

9 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को पहाडी तथा मैदानी क्षेत्रों में पूर्व का भान्ति मु0 **6.00(** छः रूपये)रूपये प्रति कि0मी0 की दर से मील भत्ता (रोड माईलेज) देय होगा, यदि वे निजि वाहन द्वारा बोड/निगम के कार्य से प्रवास पर जाते हैं

उक्त आदेश वित्त विभाग की बैब–साईट **www.himachal.nic.in/finance/** पर भी उपलब्ध हैं

भवदीय,

विशेष सचिव (वित्त-.विनियम)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या संख्या फिन–(सी)बी -15- 2 /2005 दिनांक शिमला 2 24 नवम्बर,2009
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-
1 सचिव (सामान्य प्रशासन)हिमाचल प्रदेश सरकार , शिमला -2
2 महालेखाकार (लेखा एवम हकदारी) हि0 प्र0 शिमला-3

विशेष सचिव(वित्त -.विनियम)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।